

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय

- उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

वादी
गोपाललाल

बनाम

प्रतिवादीगण
शंकरलाल व अन्य

केस संख्या 182/24

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

क्र.सं.

दिनांक आज्ञा
या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

23.09.2024

वादीगण की ओर से वाद पत्र अधिवक्ता श्री कुलदीप किशोर शर्मा द्वारा विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53, 188 आर. टी. एक्ट पेश किया गया। वादीगण का वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की जरिये रजि० नोटिस तलवी जारी होकर पत्रावली दिनांक 04/10/2024 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी

4/10/24

पत्रावली पेश हुई। कम्प्लाय द्वारा कन्डोलेन्स/कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 25/11/24 को पेश हो।

25/11/24

1108

22.10.24

25/11/25
ow

पत्रावली पेश हुई। कमील वजीर अन्तर्गत धारा 53, 188 आर. टी. एक्ट पेश किया गया। वादीगण का वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की जरिये रजि० नोटिस तलवी जारी होकर पत्रावली दिनांक 31/12/24 को पेश हो।

31/12/24

पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौरे/कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 11/02/25 को पेश हो।

21

पत्रावली पेश हुई। कम्प्लाय द्वारा कन्डोलेन्स/कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 21/2/25 को पेश हो।

21/2/25

पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौरे/कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 21/2/25 को पेश हो।

21/2/25 - पत्रावली पेश हुई। कम्प्यूटर कास
कन्डोलेंस/कार्य स्थगित करने
के कारण कार्यवाही नहीं की जा
सकी। पत्रावली दिनांक 4/3/25 -
को पेश हो।

4/3/25 - पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दोरे/
कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्य
नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक
2/4/25 को पेश हो।

24/25

पत्रावली पेश हुई, कमील वाली उपस्थित
नहीं है ना ही वाली सिप उपस्थित
है। न्यायालय समय तक एक एक कर
आवाज लगावाती जाए परन्तु ना तो
वाली सिप उपस्थित है ना ही उन्नी
ओर से कोई कमील आदि उप
स्थित है अतः वाली का वाद
अदम हाजरी अदम पैरों में लालि
क्रिया जाता है। पत्रावली नक्कल से
व्यक्त होकर वाद-कमील को खिल
दफ्तार हो।

उप सहाय अधिकारी
कमी (जिला जम्पुर)